Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा का अध्ययन

डॉ. अमित कुमार सिंह,

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।

(**Corresponding Author:** amitkumarsingh472@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21316753

सारांश

स्त्री और पुरूष गाड़ी के ऐसे दो पहिए हैं जिनका एक दूसरे के बिना दोनो का जीवन एकाकी है। ये दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देते है। प्राचीन ग्रंन्थो में नारी को नर से ऊँचा स्थान उसकी सृजनकारी शक्ति के कारण दिया गया, परंतु समयान्तराल में नारी को अबला बना दिया गया और जन्म के बाद पिता पर, विवाह पश्चात पति पर और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रितता के भाव ने उनकी प्रस्थिति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। इसके पीछे कारण जो भी रहे हो। कोई भी विचार शून्य में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह उस समाज की तत्कालीन परिस्थितियों की कोख से ही जन्मता है, जिसके मूल में जड़ हो चुके समाज की परंपरागत रूढ़ियों की दीवार को गिरा कर समयानुकूल परिवर्तन को अपनाना, स्वीकारना और ग्रहण करना होता है। वर्तमान भारतीय समाज में स्त्री–पुरुष भी समानता की चर्चा पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़कर समता और संविधान के लक्ष्यों को खोजने का ऐसा प्रयास है जो कई वर्षो से महिलाओं पर थोप दी गयी उन रूढ़िगत मान्यताओं से टकराहट है और जहां एक स्त्री को पब्लिक स्फीयर में ले जाने का सार्थक प्रयास है जिसको प्राइवेट स्फीयर में समाज की परंपरागत रूढ़ियों ने बांध कर रखा था।

आलेख सूचना

प्राप्त: 12 अगस्त, 2025 **स्वीकृत:** 20 सितम्बर, 2025 **प्रकाशित:** 30 सितम्बर, 2025

सारणी: 03 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 15

मुख्य शब्द: महिला, सशक्तिकरण, लैंगिक भेदभाव, शोषण, प्रभुता, परंपरा, कानून।

परिचय एवं पृष्ठभूमिः

"नारी! तुम केवल श्रद्धा हो"

यह एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता "कामायनी" से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने नारी के महत्व और उसकी भूमिका को बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। नारी को केवल श्रद्धा के रूप में देखना, उसके प्रति एक गहरी सम्मान और आदर की भावना को दर्शाता है। यह पंक्ति नारी की महत्ता और उसके जीवन में योगदान को उजागर करती है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। भले ही 20वीं सदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद की उक्त पंक्ति नारी की भूमिका और महत्व को समझने के लिए यह पंक्ति एक सुंदर उदाहरण है। लेकिन सामाजिक परिदृश्य में नारी की दशा प्राचीन काल के पश्चात उत्तरोतर अधोमुखी रही है।

विश्व की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी उन्हें लैंगिक भेदभाव के कारण निम्न दर्जा दिया जाता रहा है वे हिंसा, शोषण और भेदभाव की शिकार रहीं है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, उनकी उपेक्षा की जाती है और उन्हें हीन समझा जाता रहा है। यह बात भारत के संदर्भ में भी उतनी ही सही है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्थिति को देखें तो दुनिया के लगभग सभी समाजों में यह पुरुषों से पिछड़ी रही है और इनके साथ कई निर्योग्यताएं है और समस्याएं संबंधित रही हैं और भारत में इनकी स्थिति काफी जटिल रही है। रूढ़िगत समाज में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण किया जाता रहा है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी सामाजिक मान्यताओं के नाम पर परंतु महिलाओं का शोषण हर काल में जारी रहा। सिमोन डी बुवा

की पुस्तक "द सेकेंड सेक्स" में यह प्रसिद्ध पंक्ति उद्धृत है कि 'औरतें जन्म नहीं लेती बल्कि बना दी जाती है'। यह उक्ति पितृसत्तात्मक व्यवस्था को रेखांकित करती है और उन विचारों को समाज में प्रसारित करती है, जो पुरुषों की सत्ता को निर्धारित करती है, महिलाओं की इस दोयम दर्जे की स्थिति के कारण ही इतिहास के पन्नों में भी महिलाओं को योगदान तथा कृत्य के पन्ने गायब रहे हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब नारीवादी अपनी कहानी लिखने के लिए एकत्रित हो चुके हैं।

भारतीय समाज में नारी का सम्मान सदियों पुरानी परंपरा रही है, पर वास्तविकता इससे इतर दिखाई पड़ती है। नारी एक तरफ शक्ति के रूप में पूजने की परंपरा रही, वही यह दूसरी ओर वह अबला भी रही। मनुस्मृति के श्लोक ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है उस स्थान में देवताओं का वास होता है, का उद्धरण प्राचीन कालीन महिलाओं के स्वर्णिम काल का द्योतक है जिसमें उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार और स्वयंबर द्वारा स्वयं वर चुनने की परम्परा देखने को मिलती थी, परंतु वैदिक काल के पश्चात रूढ़िवादिता बढ़ने से स्त्रियों के अधिकार, सम्मान और बराबरी का दर्जा धीरे–धीरे कम होता चला गया।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासः भारत का नारीवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में पहला नारीवादी आंदोलन समाज में विद्यमान अंधविश्वासों, रूढ़िगत परंपराओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को समाप्त करने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, डी॰ के॰ कर्वे, दुर्गाबाई देशमुख, रुकमा बाई आदि समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी। विभिन्न संगठनों एवं कानूनी सुधार के माध्यम से स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और स्त्री अधिकार की दिशा में सार्थक प्रयास किए। दूसरा चरण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जुड़ा है इस दौर में महिलाएँ स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर श्रमिक आंदोलन में भी शामिल होने लगी थी। इस चरण में भारतीय महिला संघ (1917) संगठन की स्थापना और शारदा एक्ट (1929) जैसे कानूनी सुधार हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के महिला उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा में कामिनी राय, सरला देवी चौधरानी, दुर्गाबाई देशमुख आदि ने महिला सशक्तिकरण के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। भारत में नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण आजादी के बाद सार्वजनिक और निजी जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। यह मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, शिक्षा तक पहुँच, संपत्ति में अधिकार तथा लैंगिक भेदभाव की समाप्ति से जुड़ा हुआ है। वर्तमान दौर की भारतीय नारीवादियों में मेघना पंत, वृंदा करात, मधु किश्वर, गीता सहगल, वंदना शिवा, निवेदिता मेनन, नीरा देसाई, रूथ वनिता का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।

औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भारत का पुनर्निर्माण अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तथा समानता के अवसर को लक्ष्य के रूप में रखा गया। साथ ही अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के द्वारा और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति–निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से इन लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयास भी इस दिशा में प्रयास आरंभ किये गए और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों को परिस्थिति में व्यापक परिवर्तन और सुधार लाना भी था।

भारत में स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो संवैधानिक प्रयास के रूप में और दूसरा, कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गये प्रयास के रूप में। स्वतन्त्रता के पश्चात संवैधानिक प्रयास के तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3), 16, 19, 21, 23, 24, 39(घ), 42, 47, 51, 243(घ), 243(न), 325 के साथ ही विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक एक्ट 1976, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और दुरुपयोग रोकथाम) एक्ट 1994, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 जैसे संवैधानिक प्रयास शामिल हैं।

कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गये प्रयास के रूप में स्वधार योजना, उज्जवला योजना, विशाखा गाइडलाइन, महिला शक्ति केंद्र, स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना और महिला उद्यमिता के द्वारा महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिलाओं

की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की एक व्यापक योजना है, जिसका कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के दौरान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अभिसरण और संस्थागत तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएँ संबल' और 'सामर्थ्य हैं। संबल योजना के घटक के रूप में– (1) वन स्टॉप सेंटर (2) महिला हेल्पलाइन (3) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (4) नारी अदालतें शामिल हैं, वहीं सामर्थ्य योजना के तहत (1) शक्ति सदन (2) सखी निवास (3) पी.एम.एम.वी.वाई. (4) पालना (क्रेच) (5) एन॰ एच॰ ई॰ डब्ल्यू॰ शामिल है।

वीसवीं सदी के सातवें दशक में भारत में नारीवादी आंदोलनों के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से महिलाओं के मुद्दे सार्वजनिक बहस के केन्द्र बन गए कि संविधान द्वारा समानता के अधिकार मिल जाने से विकास के लाभ भी समान रूप से प्राप्त होंगे, यह पूर्णतः सही नहीं है। योजना बनाने की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण भी कभी–कभी कारगर ढंग से लैंगिक मुद्दों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा सका है। इस पूरी विकास प्रक्रिया में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य का अभाव और नीति–निर्माताओं द्वारा लैंगिक असंवेदनशीलता पर बहस आरंभ हो गई। 1975 के बाद कई महिला संगठन बने जिन्होंने मुख्यतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों पर कार्य शुरू किया और शिक्षा में बदलाव हेतु सरकार पर दबाव डालने का कार्य किया।

भारत में महिला सशक्तिकरण की दशाएंः यह कहा जाता है कि भारत में कानूनों की भरमार हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन, पीड़ित की पहुँच और समय पर न्याय मिल पाना दूर की कौड़ी साबित होता है, क्योंकि समस्या क्रियान्वयन में कमी के साथ ही तन्त्र की कमी भी है जिनके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। लालफ़ीताशाही भी इसके मार्ग में एक रोड़ा दिखाई पड़ता है। समाज की सोच में परिवर्तन एक दिन में नहीं लाया जा सकता है। इसमें समय लगता है। अगर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनगणना के आँकड़े महिलाओं का जनसंख्यात्मक स्थिति को देखें तो भारत में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति विद्यमान है।

सारणी-1: भारत में लिंगानुपात की स्थिति

वर्ष	लिंगानुपात	दशकीय परिवर्तन
1901	972	-
1911	964	-8
1921	955	-9
1931	950	-5
1941	945	-5
1951	946	1
1961	941	-5
1971	930	-11
1981	934	4
1991	927	-7
2001	933	6
2011	943	10

Source: Census of India 2011

1901 में यह 11 करोड़ 70 लाख थी जो 1981 में 32 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 2001 में 49 करोड़ 50 लाख हो गई और 2011 में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 58 करोड़ 76 लाख हो गई। परंतु प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसाकि सारणी–1 से स्पष्ट है कि 1901 में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, जबकि 1971 में यह अनुपात कम हुआ और प्रत्येक 1000 पुरुष के पीछे 930 महिलाएं रह गई। 1981 में नाममात्र की बढ़ोत्तरी हुई। यह अनुपात 933 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष हो गया। 1991 में इसमें 927 तक गिरावट आई पर 2001 में यह थोड़ा सा बढ़कर पुनः 933 तक पहुँच गया है। ये आंकड़े स्वतंत्रता के 75 वर्षों के पश्चात के भारत में बाल विवाह और बालिका भ्रूण हत्या की तस्वीर खुद ब खुद बयां करते हैं, जबकि 2011 में महिलाओं की औसत आयु (68.1) पुरुषों से (65.8) से अधिक थी।

वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे ये परिवर्तन शहरी क्षेत्र में ज्यादा परिलक्षित होते हैं, वही दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन स्तर और प्रस्थिति में बदलाव तो आया है, पर वह अभी भी परंपरागत बंधनों और रूढ़िगत मान्यताओं को पूर्णरूपेण तोड़ नहीं पाई हैं। इसके प्रमुख कारणों में जागरूकता, संसाधनों पर अधिकार का अभाव, शिक्षा का अभाव रहा है। भारत में साक्षरता पर नजर डाली जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात् हुई जनगणना के आंकड़ों में पुरुषों की साक्षरता दर 1951 से 24.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में

82.14 प्रतिशत तक पहुंच गई, वहीं महिला साक्षरता 1951 में 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई है।

अगर आंकड़ों में वृद्धि वर्ष 1951 से 2011 के सापेक्ष देखा जाए तो जितनी प्रतिशत वृद्धि (57.24 प्रतिशत) पुरुष साक्षरता में हुई है, उससे अधिक प्रतिशत वृद्धि (58.16 प्रतिशत) महिला साक्षरता में हुई है, परंतु इसके बावजूद 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता से प्रतिशत के रूप में 16.68 प्रतिशत से कम है। यह अंतर 1951 की जनगणना में प्रतिशत के रूप में 17.6 प्रतिशत था, अर्थात महिला साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि के मामले में पुरुषों से वर्तमान (2011) में अधिक है। वहीं ग्रामीण और शहरी साक्षरता में भी व्यापक अंतर दिखाई पड़ता है, जहां 2001 में ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13 प्रतिशत थी वो 2011 की जनगणना में बढ़कर 57.93 प्रतिशत हो गयी। जबकि शहरी महिला साक्षरता 2001 की जनगणना में 72.86 प्रतिशत थी वह 2011 की जनगणना में बढ़कर 79.11 प्रतिशत हो गयी। हालांकि भारतीय नारी ने आधुनिक युग में धीरे–धीरे खुद को जाना परखा है, अपनी शक्ति और गुणों को पहचाना है और वह अपने अनुसार खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्षशील रही है। यह गर्व का विषय है कि आज भारत की नारी खुद को शिक्षित कर प्रशासनिक सेवाओं, लिपिक, रिसेप्सनिष्ट के रूप में स्त्रियो की संख्या पुरुषों से कम नही है। इससे यह प्रतीत होता है कि महिलाओं की कार्य क्षमता कमतर नहीं है। शान्त, निष्पक्ष, आवेगहीन, भावुक प्रकृति के कारण स्त्रियां आज अति विशिष्ट पदों को धारित कर रही हैं और नव भारत के अभिनव निर्माण में स्त्रियों की भूमिका महती साबित हो रही है। नारीवादी आंदोलनों ने स्त्रियों की स्थिति में व्यापक बदलाव लाया है और इसके कई दूरगामी परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं।

सारणी-2: भारत में स्त्री-पुरुष साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1901	5.35	9.83	0.6
1911	5.92	10.56	1.05
1921	7.16	12.21	1.81
1931	9.5	15.59	2.93
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.67	24.95	9.45
1961	24.02	34.4	12.95
1971	29.45	39.5	18.69
1981	36.23	46.9	24.82
1991	42.84	63.9	32.17
2001	64.83	76.0	53.67
2011	74.4	82.14	65.46

Source: Registrar General of India website

शिक्षा एवं निजता के अधिकार, विवाह एवं तलाक के नवीन कानून, बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा पर प्रतिबंध जैसे कानूनों एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से महिलाओं की दशा में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सास–बहू के सम्बन्धों के साथ, पति–पत्नी के संबंध भी अब अधीनस्थता से समानता की ओर बढ़ रहे हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयास भी अपना प्रभाव जमा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं। आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति सकारात्मक मूलभूत बदलाव आये हैं। पितृतंत्र और पितृसत्ता व्यवस्था की दीवारें ढहीं हैं और उनकी चूलें भी हिली हैं जिससे महिलाओं के शोषण के असहनीय तरीकों में बदलाव आये हैं। हालांकि खेल, सेना, राजनीति, धर्म, सेवा, मीडिया और फिल्म आदि हर क्षेत्र में मदर टेरेसा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, अवनी चतुर्वेदी, लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, श्रीमती प्रतिभा पाटील, सुधा चंद्रन, तुलसी गौड़ा, टेसी थॉमस, गीता गोपीनाथ, पी. टी. उषा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, पी. वी. सिंधु जैसी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशाएं: जहां एक ओर यह परिदृश्य बेहद सुनहला है वहीं दूसरी ओर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा, शोषण, यौन हिंसा, बलात्कार, पोर्नोग्राफ़ी की बढ़ती तादात महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। आज भी दहेज प्रथा, स्त्रियों के साथ एक रोग की तरह जुड़ा हुआ है, चाहे वह ग्रामीण समाज का निम्न वर्ग हो या नगरीय समाज का उच्च वर्ग ही क्यों न हो, सभी समाजों में इस प्रथा ने अपनी जड़ें जमा

रखी हैं। ग्रामीण भारत में विधवा विवाह को अभी भी पूर्णतः सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है। गांवों में बालविवाह, पर्दा प्रथा. लड़कियों के जीवन साथी के चयन में माता–पिता की प्रचल भूमिका जैसे तत्व स्त्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज अंतर्जातीय विवाह करने वालों की हत्या तक कर दी जाती है, जिसे आनर किलिंग की संज्ञा दी जाती है। हाल के वर्षों में दिल्ली में और अन्य जगहों पर बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण व हिसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आज भी शहरों या गाँवों में बालिका भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, पोषण में भेदभाव जैसी घटनाएं विद्यमान हैं। उपरोक्त स्थितियाँ आज भी भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति को दर्शाती हैं। यह सर्वविदित है कि सबसे पहले जिस स्त्री ने पुरुष को घर बनाकर रहने को प्रेरित किया आज उसी घर में कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा का शिकार है। नारीवादियों के समक्ष भारतीय समाज की संस्कृतियाँ अलग–अलग प्रकार की होने से चुनौतियाँ भी विविध प्रकार की हैं, क्योंकि महिलाओं के शोषण और पराधीनता की संरचनाएँ और कहानियाँ भी अलग–अलग हैं। नारीवादी आंदोलन के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती महिलाओं के लिए सैकडों वर्षों से बना दी गई रूढ़िगत मान्यताएँ और पूर्वाग्रह हैं। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के प्रवेश की पाबन्दियों की कुत्सित मानसिकता एक लंबे अंतराल का परिणाम है, पर अब आधुनिकीकरण, नगरीकरण के दौर में संचार साधनों तथा यातायात साधनों के विकास ने महिलाओं के विचारों में परिवर्तन आया है। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार से स्त्रियों में चेतना का प्रसार हुआ है। चेतना के प्रसार में शिक्षा की महती भूमिका है वर्तमान में उच्च शिक्षा (18–23 वर्ष) में सकल नामांकन अनुपात (AISHE Report 2020) को देखा जाए तो यह एक सुखद तस्वीर पेश कर रहे हैं। जहां वर्ष 2014–15 में कुल सकल नामांकन अनुपात 23.7 फीसदी था, जिसमें बालक वर्ग में 24.5 प्रतिशत, वहीं बालिका वर्ग में 22.9 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020–21 में कुल सकल नामांकन के रूप में बढ़कर 28.4 फीसदी हो गया जहां बालक वर्ग में यह दर 28.3 फीसदी तक बढ़ी ,वहीं बालिका वर्ग में यह बढ़कर 28.5 फीसदी हो गई है, जो यह दर्शाती है कि पिछले 8 शिक्षण सत्र के आंकड़ों में बालिका वर्ग की सकल नामांकन अनुपात बालक वर्ग के मुकाबले वृद्धि की ओर अग्रसर है।

सारणी-3: भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

शिक्षण सत्र	पुरुष	महिला	कुल
2014-15	24.5	22.9	23.7
2015-16	25.4	23.5	24.5
2016-17	26.0	24.5	25.2
2017-18	26.3	25.4	25.8
2018-19	26.3	26.4	26.3
2019-20	26.9	27.3	27.1
2020-21	26.7	27.9	27.3
2021-22	28.3	28.5	28.4

Source: Various Editions of AISHE Report

यह तस्वीर परिवार की बालिका शिक्षा को लेकर बदल रही मानसिकता को भी प्रस्तुत करती है। बाल विवाह के कम होते आंकड़े, स्त्रियों की आत्मनिर्भर होने तक विवाह न करने की नवीन प्रवृत्ति तथा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की सर्वसुलभता एवं पहुंच ने भी महिला शिक्षा के नवीन एवं बहुआयामी द्वार खोले हैं। साथ ही साथ रोजगार के मामलों में पुरुषों एवं महिलाओं में मिट रहे भेद एक सुखद भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं। अनेक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक,राजनीतिक और सांस्कृतिक सुधारों के परिणामस्वरूप लैंगिक भेदभाव में हो रही कमी और आधुनिक भारत में महिलाओं को प्राइवेट स्फीयर से पब्लिक स्फीयर में ले जाने का सार्थक प्रयास महिला सशक्तिकरण की सुखद तस्वीर पेश करता है।

निष्कर्ष एवं सुझावः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण महिला और पुरुष के बीच की असमानता को समाप्त कर लिंग निरपेक्षता का एक प्रयास है, या यह अपने अधिकारों को छीनने की लड़ाई है, तो प्रश्न यह उठता है आखिर यह लड़ाई किस समाज से है और क्यों है और इस शोषण की नींव कब और क्यों पड़ी ? क्या इस शोषण का चरित्र सार्वभौमिक और सर्वकालिक था। महिला सशक्तिकरण आंदोलन कहां तक सफल है यह प्रश्न अभी अनुत्तरित है, क्योंकि इस लड़ाई के दो पहलू हैं एक यह लड़ाई उस मानसिकता से है, जो स्त्रियों को पुरुषों से कमजोर मानकर उसे द्वितीय दर्जा दिलाती है तो दूसरी उस मानसिकता से है जहां निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भले ही वह अब आत्मनिर्भर हो रही है। प्रश्न मनपसंद शिक्षा और जीवनसाथी के चुनाव से ही क्यों न जुड़ा हो। अब इस आधुनिक बुद्धिजीवी समाज में सर्व स्वीकार्य

है कि महिलाओं को समता से वंचित करना अलोकतांत्रिक है। हर्ष का विषय यह है कि सरकार भी अब महिलाओं की शिक्षित करने के साथ ही उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान दशा मिश्रित है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी में प्रगति हुई है, लेकिन लैंगिक हिंसा, कार्यस्थल भेदभाव और श्रम बल में कम भागीदारी जैसी गंभीर चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। दिशा मुख्य रूप से शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को समाप्त करने पर केंद्रित है, जिसके लिए मजबूत कानूनी ढाँचे, सामाजिक जागरूकता और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि, आजादी के बाद महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, जो बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत प्रसव का परिणाम है। महिलाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने के लिए सशक्त करने के सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है। इन सबके बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जिसमें घरेलू और यौन हिंसा शामिल है, एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। महिला श्रम बल की भागीदारी दर में गिरावट आई है, जो चिंताजनक है। समान काम के लिए समान वेतन न मिलना और कार्यस्थल पर भेदभाव की समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। कुछ पारंपरिक सोच और सांस्कृतिक बाधाएँ महिलाओं को पूरी तरह सशक्त होने से रोकती हैं।

कुल मिलाकर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। लिंग समानता को बढ़ावा देने, हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता पैदा करने, महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गुप्ता मोतीलाल (2019)। भारत में समाज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, जनवरी, 2019।
3. सिंह जे॰ पी॰ (2019)। आधुनिक भारत का समाज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली के जनवरी, 2016, अगस्त 2018, अक्टूबर 2018 अंक।
5. परमार शुभ्रा (2015)। नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा॰ लि॰ हैदराबाद।
6. पूनम साहू, वासुदेव साहसी (2013)। महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा. अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिव्यूज़ एंड रिसर्च, 1(2): अक्टूबर–दिसंबर 2013, पृष्ठ 57–59।
7. सिंह गौरव (2013)। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं संवैधानिक व्यवस्थाएं, आन्वीक्षिकी, 2013, पृष्ठ–64
8. सिन्हा मनोज (2012)। समकालीन भारत एक परिचय, ओरियंट ब्लैक स्वान प्रा॰ लि॰ हैदराबाद।
9. जोशी गोपा (2011)। भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली।
10. श्रीवास्तव रागिनि (2011)। आधुनिक समाज एवं महिलाएं, इंदौर, 2011, पृष्ठ–21।
11. अंसारी एम.ए (2007)। महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007, पृष्ठ–224।
12. आचार्य सम्राटश्री देवेन्द्रमुनी (2006)। भारतीय वाङ्मय में नारी, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ–24।
13. सिंह योगेन्द्र (2006)। भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
14. मेहता, बी.के., और दुबे, राकेश कुमार (2004)। शोध संप्रेषण, बिलासपुर, 2004, पृष्ठ–18 और 114।
15. टी. राधाकृष्ण (1997)। मध्यप्रदेश महिला नीति भेपाल, 1997, पृष्ठ–11 और 14।

*****

आलेख उद्धरित करें:	सिंह, डॉ. अमित कुमार (2025)। भारत में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम-1, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2025, पृष्ठ 23-28।